कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक -2268/ 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 09/02/ 2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में विधानसभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घॉघल से सुकना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में (प्रस्ताव सं07 149823/2021)**

संदर्भः– **आपका पत्रांक– 2870/12–1, दिनांक– 29.05.2025**

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 5009/12–1, दिनांक 03.02.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(चन्द्र शेखर जोशी)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

56-65

05 FEB 2026

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 5009 / 12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 03 फरवरी, 2026।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय : **जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा गंगोलीहाट के अन्तर्गत लिंक मार्ग से बानड़ी से चकाधार धरमोली घॉघल से सुकना तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 है0 वनभूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/149823/2021).**

सन्दर्भः **प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रॉक 2870/12–1 देहरादून दिनांक 29.05.2025।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र के कम में दिये गये निर्देशों के कम में आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	आख्या
1.	प्रश्नगत परियोजना के वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव में सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वांछित सूचना प्रेषित की गई है। प्रकरण में कुल 62 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः वन संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार इसमें 10 गुणा अर्थात 620 वृक्षों के रोपण की स्कीम रु0 2143 प्रति वृक्ष के आधार पर वांछित है। जहां पर उक्त वृक्षों का रोपण किया जाना है, प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से उक्त क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।	विषयांकित प्रकरण में प्रभावित 62 वृक्षों के सापेक्ष 10 गुणा अर्थात 620 वृक्षों के रोपण की योजना रु0 2143 प्रति वृक्ष के आधार पर तैयार कर संलग्न है। उक्त वृक्षारोपण योजना एवं चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः– **यथोक्त।**

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।